www.krishipravahika.com

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

*कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका,* (2022) वर्ष 2, अंक 4, 29-31

Article ID: 182

# खेत तलाई सब्सिडी योजना (फार्म पोंड सब्सिडी योजना)

**सुरेश गारू (जाट)[1], अनिल गोदारा[1], मांगी लाल जाट[2], नरेन्द्र जाट[3], राकेश कुमार[4]**

[1]बी.एस. सी.(ओनर्स) कृषि विधार्थी, एपेक्स कृषि महाविधालय चाईया

[2]सहायक आचार्य (कृषि प्रसार शिक्षा), एपेक्स कृषि महाविधालय चाईया

[3]महाराणा प्रताप कृषि एंव प्रोधोगिकी यूनिवर्सिटी,उदयपुर

[4]एपेक्स कृषि महाविधालय चाईया

राजस्थान के किसानों के लिये राज्य सरकार ने सिंचाई के लिये खेत तलाई योजना चलाई जा रही है। जिसमे पात्र किसानों को अपने खेत में वर्षा जल संग्रह के लिये तलाई बनाने के लिये अनुदान दिया जा रहा है जिसके लिये किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, इस योजना में सिमीत किसानों को ही अनुदान मिल पाता है प्रदेश सरकार ने शुरू की इस योजना का लाभ परिवार का केवल एक ही किसान उठा सकता है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले किसान आवेदन कर सकते है । योजना के अंतर्गत किसानों का बैंक में खाता होना आवश्यक है, और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करे ।वर्षा जल के संग्रहण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थाम के सभी जिलों में वर्षा जल के संग्रहण के लिए खेतों में खुदाई करके वर्षा जल के पानी को इकट्ठा करके उससे भूमि सिंचाई के रूप में पुनः उपयोग करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है इसके लिए राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर कुछ-कुछ अनुपात में अनुदान जारी करते हैं।

वर्षा जल के संग्रहण के लिए किसानों को सरकार के द्वारा जारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होता है जिसके लिए उन्हें लघु किसान या सीमांत किसान तथा वृहत किसानों सभी के लिए यह योजना फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें किसान बरसात के पानी को अपने खेत के किसी भाग में तलाई बनवा कर एकत्रित कर सकता है तथा उसे पुणे कम से कम एक मौसम तक सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकता है वर्षा जल संरक्षण के लिए मिलने वाली सरकार द्वारा अनुदान राशि किसान द्वारा अपने खेत में वर्षा जल के इस कथन के लिए उपयोग में आने वाली तलाई के निर्माण के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों द्वारा कुछ राशि का अनुदान दिया जाता है जिसका उल्लेख इस प्रकार है अगर कृषक अपने भूमि में तलाई का निर्माण करवाता है तो उसमें लगने वाली लागत का 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 52500 रुपए तलाई के निर्माण के लिए तथा ₹75000 उस तलाई में पक्की फर्ज या तलाई के फर्श में प्लास्टिक की पन्नी बिछाने के लिए अनुदान राशि दी जाती है इसकी अधिकतम राशि लगभग 300 माइक्रोन BI के आधार पर दी जाती है इन दोनों में से जो भी कम हो राशि उसी के अनुसार देय होती है।

**# खेत तलाई सब्सिडी योजना का उदेश्य-**

इस योजना में वर्षा जल संग्रहन करने व उसे सिंचाई में काम लेने के लिये चलाई जा रही है जिससे किसान वर्षा जल संग्रहित करके अधिक भूमि जोत सके व अच्छी पैदावार पा सके। फार्म पोंड सब्सिडी योजना में देय अनुदान – सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पोण्ड पर तथा 90,000/- रूपये प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ जो भी कम हो।न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।

**# खेत तलाई सब्सिडी योजना के लिये पात्रता –**

• कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।

• संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।

**#खेत तलाई, जल होज, पाइपलाईन व डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान सहायता की जानकारी-**

खेती में उन्नत तकनीक अपनाकर फसल का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है. किसान की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जल बचत की योजनाएं चलाई जा रही हैं. वर्षा जल अनमोल है इसकी प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करना की हमारा ध्येय होना चाहिए. वर्षा के असमान वितरण के कारण फसल अवधि के मध्य या अंत में सूखे की स्थिति जाती है पानी की कमी से फसल में दाना बनने समय या दाना बनने से पहले ही फसल खराब हो जाती हैं. यदि ऐसी स्थिति में फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध करा दी जाए तो किसान अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं. इसलिए इस बहुमूल्य वर्षा जल संसाधन का संरक्षण तथा कुशल उपयोग करने पर किसान को अधिक लाभ होता है और वर्षा न होने पर भी सिंचाई की जा सकती है. अतः किसान का ध्यान इस सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण एवं कुशल उपयोग की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी हो गया है. जल के समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित अथवा चलाये जा रहे-

**#खेत तलाई निर्माण** –

यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है. इस योजना में राज्य में अधिक गहराई वाले कुओं तथा जल हौज का निर्माण कार्य कर सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है. किसान द्वारा कम से कम 400 घन मीटर आकार के कच्चे फार्म पॉन्ड का निर्माण करने पर 60 % अथवा अधिकतम राशि 63 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा. प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर लागत का 60% अथवा अधिक राशि 90 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान देय होगा यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है. इसमें राज्य के नहरी क्षेत्र वाले जिलों में डिग्गी का निर्माण किया जा सकता है और सिंचाई सुविधा को बढावा दिया जाता है. किसान द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर या इससे अधिक भराव क्षमता की पक्की अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी निर्माण करने पर कुल लागत का 75% अथवा अधिकतम राशि 3 लाख रुपए किसान के स्वयं के नाम सिंचित क्षेत्र नहरी कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए. डिग्गी निर्माण से पहले व कार्य पूर्ण होने पर जियो टैगिंग एवं आधार कार्ड की जरूरी है. फव्वारा, ड्रिप या माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना के बाद ही किसानों को सब्सिडी दी जायेगी.जल होज निर्माण यह भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत चलाई जा रही है. इसमें राज्य में अधिक गहराई वाले कुओं तथा असामयिक विदयूत आपूति वाले क्षेत्र में जल हौज का निर्माण कार्य अथवा नलकूप के जल को हौज में एकत्रित करना काम शामिल है. किसान द्वारा न्यूनतम 1000 घन मीटर आकार का या 1 लाख लीटर भराव क्षमता का जल हौज निर्माण करने पर लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 90 हजार जो भी कम हो सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा.

**# खेत तलाई सब्सिडी योजना में आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज –**

•आधार कार्ड
•जनाधार कार्ड
•बैंक डायरी
•ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म
•जमाबंदी की नकल
•खेत का ट्रेस नक्शा

**# खेत तलाई सब्सिडी योजना के लिए सम्पर्क सूत्र :-**

•ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
•पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
•उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / कृषि अधिकारी।

•जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार)

**कब मिलता है लाभ जाने इसके बारे में-** राजस्थान भूमि खेत तलाई फार्म पॉन्ड योजना/वर्षा जल संरक्षण योजना के लिए किसान को अपने खेत में बनवाए जा रहे तलाई के लिए तलाई के पूर्ण रूप से बनने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है आवेदन करने के बाद संबंधित क्षेत्र के पटवारी तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा संबंधित भूमिका जायजा लिया जाता है तथा इस बात की पुष्टि की जाती है की क्या सच में वहां कोई तालाब यह तलाई बनी है जिसका उपयोग कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो ही कृषक को इसके लिए प्राप्त लाभ राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है

**#फार्म पौंड निर्माण करने के लिए जरूरी पात्रता-**

वर्षा का पानी को बचाने के लिए कच्चा फॉर्म पौंड निर्माण करने के लिए 63000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जायेंगे जो लागत का 60 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा बाकी 40 प्रतिशत का भुगतान किसान को खुद करना होगा।

इस योजना का लाभ न्यूनतम 400 घन मीटर व ज्यादा से ज्यादा 1200 घन मीटर का फार्म पौंड निर्माण करने के लिए दिया जायेगा।

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार किसान को अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर लगाना अनिवार्य है उसके बाद ही किसान को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम खुद की 0.5 हेक्टेयर तक की भूमि होना चाहिए

**# स्वयं के स्तर पर आवेदन कैसे करें-**स्वयं के स्तर पर आवेदन करने के लिए किसान को आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट करवा कर उसमें मांगी जाने वाली जानकारी को भरकर ऑनलाइन ई प्रपत्र फॉर्मेट में संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करके अपलोड करना होगा

**# खेत तलाई सब्सिडी योजना के महत्वपूर्ण बिंदु -**

•आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।

•इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।

•खेत तलाई (फार्म पौंड) के निर्माण से पहले व बाद में विभाग से मौका / सत्यापन किया जाएगा।

•अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।

**# खेत तलाई सब्सिडी योजना आवेदन कैसे करे-**

•कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।

•आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

•आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)

•वर्तमान में आवेदन के लिये किसानों को RAJKISAN वेबसाइट पर आवेदन करना होगा

•RAJKISAN वेबसाइट का ऑनलाइन लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है जिससे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

•अन्यथा किसान स्वय की SSO ID से भी उपर बताए गये दस्तावेजों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

•अभी आवेदन करने वाले किसानों को अप्रेल 2022 में जारी होने वाली चयनित किसानों की लिस्ट में वरीयता दी जायेगी

•सामान्यत किसान इस योजना में आवेदन करने के लिये मार्च अंतिम दिनाक का इंतजार करते है जबकि वर्तमान में राजकिसान पोर्टल से वर्ष भर में कभी भी आवेदन कर सकते है

•राजकिसान पोर्टल से आवेदन करने वाले किसानों को नयी जारी होने वाली सुची में वरीयता प्रदान की जायेगी

•इसलिये जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो जल्द से जल्द ई-मित्र या स्वय की SSO ID अथवा RAJKISAN PORTAL से ऑनलाइन आवेदन करे ताकि आपको नये वित् वर्ष में अनुदान मिलना सुनिश्चित हो सके।